संख्या बी–3–1878/दस–2006–4(1)/89–कम्प्यूटर

प्रेषक,

डा० बी०एम० जोशी,
सचिव, वित्त (बजट),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2006

विषयः– राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम।

महोदय,

वित्त (आय–व्ययक)
अनुभाग–3

राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिए अग्रिम विषयक शासनादेश संख्या बी–3–6234/दस–89–4(1)/89–कम्प्यूटर, दिनांक 07 दिसम्बर, 1989 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन राज्य कर्मचारियों का मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में रूपये 10500 प्रतिमाह अथवा अधिक हो, वे ही व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम हेतु पात्र होगें। व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिए रूपये 45000 तक अथवा कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, की धनराशि का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। दूसरी अथवा बाद के अवसरों पर भी अग्रिम की अधिकतम धनराशि रूपये 45000 ही रहेगी।

2–राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की वसूली उसके वेतन से अधिकतम 150 मासिक किश्तों में की जायेगी।

3–स्वीकृत किये जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज की दर वही होगी जो शासन द्वारा समय-समय पर मोटरकार अग्रिम पर निर्धारित की जाती है।

4– राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की धनराशि के आहरण से पूर्व प्रपत्र–25ए में अनुबन्ध भरना होगा तथा अग्रिम स्वीकृत के एक माह के अन्दर कम्प्यूटर क्रय कर उसे प्रपत्र संख्या–25 में "राज्यपाल, उत्तर प्रदेश" के पक्ष में बंधक रखना होगा। अस्थाई राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर स्वीकृति की दशा में प्रपत्र संख्या–25–सी में एक स्थाई कर्मचारी की जमानत देनी होगी जो अग्रिमी से पूर्व सेवानिवृत्त न हो।

5–यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

6–वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,
बी०एम० जोशी,
सचिव, वित्त (बजट)।